

विदेश यात्रा हेतु प्रस्तुत किये जाने वाले आवेदन का प्रारूप

प्रति,

आयुक्त,
उच्च शिक्षा मध्यप्रदेश,
भोपाल ।

द्वारा:

विषय:- विदेश यात्रा हेतु आवेदन ।

-0-

मुझे (निजी/शासकीय) कार्य से दिनांक से दिनांक तक विदेश प्रवास पर जाना है । विदेश यात्रा आवेदन हेतु निम्नानुसार जानकारी प्रस्तुत है, कृपया अनुमति प्रदान करने का कष्ट करें :-

1.		अधिकारी का नाम एवं पदनाम	
	(अ)	जन्म तिथि	
	(ब)	वर्तमान पता	
	(स)	प्रवास का पता एवं दूरभाष क्रमांक	
2.		यात्रा का प्रकार निजी/शासकीय	
3.		यात्रा के कारण	
4.		यात्रा पर होने वाला संभावित व्यय का विवरण-कुल व्यय	
	(अ)	आने-जाने के टिकिट इत्यादि का व्यय	
	(ब)	प्रवास के दौरान ठहरने एवं अन्य व्यवस्थाओं का व्यय	
	(स)	व्यय का स्रोत	
5.	(अ)	संस्था/व्यक्ति जिसके द्वारा व्यय किया जाना है - विस्तृत विवरण	
	(ब)	संस्था/व्यक्ति द्वारा व्यय की जाने वाली राशि ।	
6.		अधिकारी की सेवा का नाम	

निरन्तर.....2.....

7.		सेवा में आने का वर्ष	
8.		वर्तमान में प्रदाय की जा रही सेवा का विवरण	
9.		प्रवास एवं प्रवास अवधि का औचित्य	
10.		विभागीय/आर्थिक अनियमितता/अन्य लंबित जॉचों का विवरण यदि कोई हों	

- संलग्न :
1. आश्वासन पत्र
 2. पासपोर्ट की सत्यापित प्रति
 3. अजॉच प्रमाण पत्र
 4. व्यय की राशि का विवरण (सत्यप्रतियाँ)
 5. पूर्व विदेश यात्राओं का ब्यौरा

हस्ताक्षर

.....

आवेदक का नाम

.....

नियंत्रणकर्ता अधिकारी का प्रमाणीकरण एवं अभिमत

प्रमाणित किया जाता है कि आवेदक द्वारा दी गई उपरोक्त वर्णित जानकारी का कार्यालयीन एवं मूल अभिलेखों से सत्यापन कर लिया गया है जो सही पाया है। डॉ./श्री/श्रीमती के प्रवास के दौरान इनको सौंपे गये कार्य वैकल्पिक रूप से डॉ./श्री/श्रीमती से कराने की व्यवस्था कर ली गई है तथा डॉ./श्री/श्रीमती को विदेश प्रवास हेतु अनुमति दिये जाने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है (यदि आपत्ति है तो उल्लेख करें)।

हस्ताक्षर

.....

नियंत्रणकर्ता अधिकारी

नाम

.....

पदनाम (पदमुद्रा)

.....

पिछले तीन वर्षों में की गई विदेश यात्राओं का ब्यौरा

नाम अधिकारी/कर्मचारी

.....

पदनाम

.....

स.क.	देश का नाम	किस दिनांक से किस दिनांक तक भ्रमण किया गया	उद्देश्य	व्ययमार का स्रोत
1	2	3	4	5

हस्ताक्षर.....

नाम.....

पदनाम.....

आश्वासन पत्र

1. मैं दिनांक से दिनांक विदेश यात्रा पर कारण से रहूंगा/रहूंगी ।
2. उक्त विदेश यात्रा पर जाने के पूर्व सक्षम प्राधिकारी से नियमानुसार अवकाश की लिखित स्वीकृति आदेश प्राप्त करने के उपरांत यात्रा करूंगा/करूंगी ।
3. उपरोक्त अवधि से अधिक समय तक विदेश में रहने (OYER STAY) अर्थात् सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर विभाग मेरे विरुद्ध म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1968 के अधीन अनुशनात्मक कार्यवाही कर जो भी निर्णय लेगा वह मुझे स्वीकार्य होगा ।
4. उक्त विदेश यात्रा का संपूर्ण व्यय मैं स्वयं वहन करूंगा , व्यय के स्रोतों की जानकारी संलग्न है ।
5. उक्त विदेश यात्रा के दौरान मैं किसी भी प्रकार का व्यवसाय एवं नौकरी नहीं करूंगा/करूंगी ।
6. उक्त विदेश यात्रा के दौरान होने वाली किसी भी दुर्घटना के लिये मैं स्वयं उत्तरदायी रहूंगा ।
7. उक्त विदेश यात्रा के दौरान बीमारी/दुर्घटना इत्यादि के कारण चिकित्सा पर होने वाला व्यय स्वयं वहन करूंगा ।
8. उक्त विदेश यात्रा के दौरान होने वाले किसी भी प्रकार के व्यय के लिये शासन से मांग नहीं करूंगा ।
9. वर्तमान में मेरे विरुद्ध कोई गंभीर शिकायत/आर्थिक अनियमितता/ विभागीय जाँच आदि लंबित/प्रस्तावित नहीं है । अजाँच प्रमाण पत्र संलग्न है ।
10. विदेश यात्रा के दौरान आवज़न एवं पारपत्र संबंधी समस्त नियमों, निर्देशों का पूर्णरूपेण पालन करूंगा ।
11. उक्त विदेश यात्रा के दौरान अध्यापन कार्य में व्यवधान न होने संबंधी व्यवस्था की गई, फिर भी यदि अध्यापन कार्य पूर्ण नहीं होता है तो मैं अतिरिक्त पिरीयड लेकर कार्य पूर्ण करूंगा/करूंगी ।
12. मैं Foreign Currency Regulation Act का पालन करूंगा/करूंगी और आवश्यक अनुमतियों यात्रा के पूर्व प्राप्त करूंगा/करूंगी ।

हस्ताक्षर.....
नाम.....
पदनाम.....
महाविद्यालय का नाम.....